

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक :

विषय- डा० अशोक कुमार चौधरी, सेवा निवृत्त, सिविल सर्जन, गोपालगंज को 300(तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति ।

आदेश- वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 8889 (2) वि० दिनांक 24.12.1986, पत्रांक 1829 वि० (2) दिनांक 07.04.2005 एवं महालेखाकार बिहार, पटना के पत्रांक LR: 270320190201759 के आलोक में डा० अशोक कुमार चौधरी को 300(तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान स्वीकृति दी जाती है ।

- 2) डा० अशोक कुमार चौधरी, सेवा निवृत्ति की तिथि 31.03.2019 है ।
- 3) महालेखाकार कार्यालय बिहार द्वारा अपने स्तर पर डा० अशोक कुमार चौधरी के सभी तरह का बाकी/बेबाकी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर पूर्णतः संतुष्ट हो लेने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाएगा ।
- 4) अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र सिविल सर्जन, गोपालगंज के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अनिल कुमार)

ज्ञापांक-

721(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक :

19/6/19


प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / क्षेत्रीय अपर निदेशक, सारण प्रमंडल छपरा / सिविल सर्जन, गोपालगंज / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: जिला कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज / समाहरणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा० अशोक कुमार चौधरी, सेवा निवृत्त, सिविल सर्जन, गोपालगंज । पत्राचार का पता-चौधरी निवास, मुन्नाचक लेन, तिलिकनगर, कंकड़बाग, डाकघर-लोहियानगर, थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना, पिन-800020(बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3,8 एवं 9 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

  
 सरकार के संयुक्त सचिव  
 19-6-19